

:::आदेश:::

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली-2014 में दिये गये प्राविधानानुसार विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर वाणिज्य कर विभाग में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ सहायकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रधान सहायक (वेतन बैंड-2-9300-34800 सादृश्य ग्रेड वेतन 4200 / लेवल-6) के पद पर चयन वर्ष-2019-20 के लिये पदोन्नति प्रदान करते हुए अग्रिम आदेशों तक उन्हें उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर बनाये रखा जाता है:-

क्र० सं०	ज्ये० क्रमांक	कर्मचारी का नाम श्री / श्रीमती	पिता / पति का नाम श्री / स्व० श्री:-	वर्तमान तैनाती स्थान का नाम
1	2	3	4	5
1.	2277	उर्मिला देवी	लक्ष्मी प्रसाद	बांदा
2.	2288	चन्द्र बोस	ओम प्रकाश	कन्नौज
3.	2311	सुमन कुमारी	लक्ष्मण प्रसाद	बरेली
4.	2323	शरद कुमार (दिव्यांग)	गोटी राम	उरई
5.	2914	दीपक कुमार (दिव्यांग)	रमेश चन्द्र	एटा

उपरोक्त क्रमांक-01 से 03 पर अंकित कार्मिकों को उनसे कनिष्ठ कार्मिकों को प्रदान की गयी पदोन्नति की तिथि 30-06-2020 से नोशनल पदोन्नति प्रदान की गयी है। "नो वर्क नो पे" के सिद्धान्त के आधार पर नोशनल पदोन्नति के लिए इन्हें कोई एरियर आदि का भुगतान देय नहीं होगा।

- उपरोक्त पदोन्नत कार्मिकों की तैनाती विभिन्न जोन / कार्यालयों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष अलग से सुनिश्चित करायी जायेगी।
- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उपरोक्त पदोन्नत कर्मचारियों को पदोन्नति आदेश तामील कराते हुये उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर ही प्रधान सहायक के पद पर दिनांक 26-10-2020 तक कार्यभार ग्रहण कराये तथा यदि कोई कार्मिक किन्हीं कारणों से पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक न हो, तो उससे उक्त आशय का पदोन्नति फोरगो प्रार्थना पत्र प्राप्त करके दिनांक 27-10-2020 तक अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराये।
- संबंधित नियन्त्रक अधिकारी / संभागीय अधिकारी कृपया यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उपर्युक्त पदोन्नत कार्मिकों में से किसी कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत आरोप पत्र/ नोटिस निर्गत हो, सतर्कता जाँच / ई० ओ० डब्ल्यू० जाँच चल रही हो तो ऐसे कार्मिक पर यह पदोन्नति आदेश प्रभावी न मानते हुए उन्हें कार्यभार ग्रहण न कराए और अधोहस्ताक्षरी को तत्काल सूचित करें।
- वर्तमान में यदि कोई कर्मचारी स्तम्भ-5 में अंकित स्थान से स्थानान्तरित हो गया हो तो उसकी वर्तमान तैनाती का स्थान तदनुसार संशोधित मानकर सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी अपने स्तर से सम्बन्धित कर्मचारी को इस पदोन्नति आदेश की एक प्रति तामील कराते हुये कार्यभार ग्रहण करायेगे और इसकी सूचना मुख्यालय को उपलब्ध करायेगे।


(सूर्यमणि लालचंद)

एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक // उक्त ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- 2- जौनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, झांसी, इटावा, बरेली, अलीगढ़ ।
- 3- ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर, बांदा, इटावा, झांसी, अलीगढ़ सम्भाग-ए अलीगढ़ ।
- 4- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0),वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु ।
- 5- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी, वाणिज्य कर, बांदा, इटावा, बरेली, झांसी, अलीगढ़ ।
- 6- असि0 कमि0 (ए) / आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, बांदा, कन्नौज, बरेली, उरई, एटा ।
- 7- चरित्र पंजिका सेल, वाणिज्य कर स्थापना अराजपत्रित अनुभाग मुख्यालय ।
- 8- पटल प्रभारी 4क, 4ख, 4ग, स्था-6 सामान्य वाणिज्य कर मुख्यालय ।
- 9- सम्बन्धित कर्मचारियों को (नाम से) ।


(पी0एन0र्यादव)

ज्वाइन्ट कमिश्नर(स्थापना अराज0)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।